भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ|

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं. 2/2018-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 31) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 फरवरी, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 31) की धारा 8 के खंड (ख), धारा 20 के खंड (खक), धारा 28 के खंड (ख) के उपखंड (i) और खंड (ग) के उपखंड (i) के सिवाय उसके उपबंध लागू होंगे ।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग-II)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार